147

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R-2598-III/14

1.रामराजा सिंह तनय भगवंतसिंह आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम भैरानोबर तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

2.बहादुरसिंह तनय भगवंतसिंह आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम भैरानोबर तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

3.हिम्मतसिंह तनय भगवंतसिंह आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम भैरानोबर तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

4.अर्जुनसिंह तनय भगवंतसिंह आयु 46 वर्ष निवासी ग्राम भैरानोबर तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

--पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1.महिला मुन्नीराजा पुत्री स्व. रघुनाथसिंह पत्नि पहाडसिंह निवासी ग्राम झिनगुंवा तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

2.महिला राजकुमारी पुत्री स्व. रघुनाथसिंह पत्नि विश्वनाथसिंह निवासी छतरपुर म.प्र.

3.महिला रामकुंवर पुत्री स्व. रघुनाथसिंह पत्नि नारायणसिंह नि. ग्राम बोडा जिला छतरपुर म.प्र.

4.धर्मेन्द्र सिंह तनय रघुनाथसिंह निवासी ग्राम बोडा जिला छतरपुर म.प्र.

--उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता प्रतिकूल आदेश दिनांक 10/07/2014 मामला कं. 61/अपील/2011-12 अधीनस्थ विद्वान अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ जिला टीकमगढम.प्र.

महोदय,

पुनरीक्षण के आधार व कारण निम्न प्रकार है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2598/तीन/2014 जिला–टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-10-16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 61/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील बल्देवगढ़ के नामान्तरण पंजी क्रमांक ग्राम डुढयनखेरा के आदेश दिनांक 20.10.1997 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के न्यायालय में अवधि बाह्य प्रस्तुत की गयी थी। जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2014 से स्वीकार की जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ द्वारा अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील में धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पत्र को	

बिना किसी कारण के स्वीकार किया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील स्पष्टतः अवधि बाह्य थी और उक्त आदेश की विधिवत् जानकारी अनावेदकगण को रही है क्योंकि विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 20.10. 1997 के पश्चात् राजस्व अभिलेखो में आवेदकगण की विधिवत् प्रविष्टी चली आ रही है और ऐसा खसरा अभिलेख लोक अभिलेख है जिसकी प्रत्येक कृषक को जानकारी होती है अपील लगभग 15–16 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतः अवधि बाह्य है ऐसी स्थिति में लम्बे समय पश्चात् अपील को अवधि में मान्य नहीं किया जा सकता इस संबंध में उनकी ओर से 1992 आर.एन. 289 उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर वर्तमान पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदकगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्का में मुख्य रूप से यह बताया अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया है साथ ही साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया है, अभी प्रकरण का निराकरण गुण दोषों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को करना है ऐसी स्थिति में आवेदकगण को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान पुनरीक्षण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभय पक्षों के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयो की आदेश पत्रिकाओ का मेरे द्वारा

विधिवत् अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लगभग 16 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया है साथ ही साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, परिसीमा अधिनियम की आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विचारण न्यायालय आदेश दिनांक 20.10.1997 की जानकारी अनावेदकगण को दिनांक 28.05.2012 को उस समय हुयी जब वह अपने हक व कब्जे की उक्त कृषि भूमि पर जुताई करने का प्रयास किया। जबकि उनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 20.10.1997 की उन्हे जानकारी दिनांक 28.05. 2012 को क्यों हुयी जबकि प्रत्येक वर्ष खातेदार द्वारा अपने खाते का लगान जमा किया जाता है इसके अलावा खसरे में आवेदकगण का नाम निरन्तर चला आ रहा है और खसरा अभिलेख लोक अभिलेख है जिसकी जानकारी प्रत्येक कृषक को होती है ऐसी स्थिति में अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में जो आधार बताये है वह वास्तविकता के विपरीत होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1992 आर.एन. 289 में स्पष्ट किया गया है, कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 व्याप्ति अधिकारिता की प्रकृति विवैकिक है पक्षकार विलंब माफी के लिये हकदार नहीं है। पर्याप्त कारण का सबूत अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकार का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है न्यायालय अपनी अंतनिर्हित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कलावधि नहीं बढ़ा सकता। ऐसी स्थिति में जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया

है, स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार बल्देवगढ़ की नामान्तरण पंजी क्रमांक 1 आदेश दिनांक 20.10.1997 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

सदस्य